न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 110/2019 (1575/2017)
GCMS NO. : 2017/00069

–:: प्रार्थीगण ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. मांगीलाल पुत्र नारायणलाल 2. बाबूलाल पुत्र नारायणलाल 3. पुखराज पुत्र उमाराम 4. बगदाराम पुत्र ढगलाराम 5. छैलाराम पुत्र ढगलाराम 6. रूपाराम पुत्र ढगलाराम 7. भगाराम पुत्र ढगलाराम जातियान–मेघवाल,निवासीगण–घोडावड तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।		1. रामाराम पुत्र लाबूराम 2. मदनलाल पुत्र चम्पालाल 3. सुनिल पुत्र चम्पालाल 4. लाडूड़ीदेवी पत्नि चम्पालाल जातियान–मेघवाल,निवासीगण–घोडावड तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0। 5. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 24/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 28/09/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायलान एवं गैरसायलान की शामालति पैतृक पुश्तैनी खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा घोड़ावड़ पटवार हल्का घोड़ावड़ तहसील जैतारण जिला–पाली में स्थित है जो खसरा नम्बर 331 रकबा 58–01 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई हैं। उक्त भूमि सायलान एवं गैरसायलान के दादा परदादा यानि पूर्वज मुगनाराम वल्द भलाराम जी की खातेदारी व कब्जा काश्त की थी, जिस पर वक्त सेटलमेंट के समय काबिज खातेदार काश्तकार मुगनाराम जी ही थे, इस भूमि की चालू जमाबंदी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है, एवं इस भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वंशावली के माफिक सायलान व गैरसायलान सभी एक ही पूर्वज मुगनाराम जी मारू मेघवाल (तंवर) के वंशज हैं, एवं संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है, विवादित आराजी सायलान एवं गैरसायलान की संयुक्त हिन्दू परिवार की शामलाति भूमि है, जिस पर माफिक हक हिस्से अनुसार प्रत्येक का 1/[illegible] कब्जा काश्त एवं हक अधिकार भी है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में [illegible] विवादित आराजी के वक्त सेटलमेंट के पूर्व से ही यानि सम्वत् 2007, 2008 [illegible] से ही इस विवादित आराजी के रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्त[illegible] थे, तथा मुगनाराम जी के सबसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

बड़े पुत्र लाबूराम जी थे जो सायलान एवं गैरसायलान के परिवार में मुगनाराम जी के वृद्ध होने की वजह से परिवार के कर्ताधर्ता व मुखिया थे, इस प्रकार से मुगनाराम जी के परिवार के कर्ता खानदान सेटलमेंट के समय लाबूराम जी ही थे। वक्त सेटलमेंट के समय से ही इस विवादित आराजी के रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार मुगनाराम जी के साथ उनके चारों पुत्र लाबूराम, नारायणलाल, उमाराम, व ढगलाराम जी भी अपने पिता मुगनाराम जी के शामलाति काबिज होकर काश्त कर रहे थे, लेकिन वक्त सेटलमेंट के समय सेटलमेंट विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने गलती से वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में मुगनाराम जी के सबसे बड़े पुत्र लाबूराम जो कि इस संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता खानदान होने से लाबूराम जी अकेले के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी, जबकि वास्तविकता में इस भूमि पर लाबूराम जी के अलावा उनके तीनों छोटे भाई नारायणलाल, उमाराम व ढगलाराम का बराबर कब्जा काश्त व हक हिस्सा व अधिकार था। तथा उक्त चारों भाई शामलाति ही काश्त कर रहे थे, कालान्तर में मुगनाराम जी व उनके चारों पुत्रों का भी देहान्त हो गया है जिस पर उक्त विवादित आराजी जरिये फौतेदगी म्युटेशन के लाबूराम जी के दोनों जायंदा पुत्रों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई थी, उसके बावजूद भी मौके पर कब्जा काश्त तीनों भाईयों के वारिसान यानि सायलान का भी बराबर मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा था, लाबूराम जी के फौतेदगी म्युटेशन संख्या 525 भरा गया था तदुपरान्त लाबूराम जी के पुत्र चम्पालाल का देहान्त हो जाने पर उसके फौतेदगी म्युटेशन संख्या 579 के जरिये चम्पालाल के वारिसान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई था। परन्तु मौके पर मुगनाराम जी के चारों ही पुत्रों के वारिसान का 1/4–1/4 वें हिस्से की भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के कब्जा काश्त सेटलमेंट से लगायत आज दिन तक चला आ रहा है। इसी माफिक सायलान वादग्रस्त भूमि अपनी पैतृक व पुश्तैनी होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र बाबत् घोषणा का बहक सायलान विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। कालान्तर में इस विवादित आराजी के नाप–चौप को लेकर के पक्षकारो के बीच विवाद होने पर सायलान व गैरसायलान ने ग्रामवासियों को एकत्र किया जिस पर ग्रामवासियों ने समझाईश कर मौके पर दुबारा सीमा विवाद का निर्धारण करवाया एवं विवाद को हमेशा–हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए 50/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर लिखत राजीनामा तैयार किया गया जिस पर गैरसायलान ने सायलान का इस विवादित आराजी में 1/4–1/4 वां हिस्सा होना मंजूर किया तथा भविष्य में नाप–चौप व कब्जे काश्त को लेकर कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा व विवाद नहीं करने हेतु पाबंद किया गया। लिखत ईकरार इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जिससे भी साबित है कि वादग्रस्त आराजी सायलान की पैतृक व पुश्तैनी है। जिससे भी सायलान अपने खातेदारी व हक अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी होने से यह प्रार्थना [illegible] बाबत् घोषणा का बहक सायलान विरुद्ध गैरसायलान के पेश [illegible] सेटलमेंट के समय से लाबूराम जी बड़े भाई के साथ उनके [illegible] शामलाति कब्जा काश्त व हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

अधिकार था जिसके दस्तावेजी सबूत के रूप में खसरा गिरदावरी संवत 2014 से 2017 पश्चातवर्ती गिरदावरियां भी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है। जिसमें चारों ही भाईयों का कब्जा काश्त दर्ज है। जिससे भी उक्त वादग्रस्त आराजी सायलान की पैतृक पुश्तैनी होना साबित है। इस प्रकार से मौके पर सायलान प्रत्येक अपनी पुश्तैनी 1/4 वें-1/4 वें हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे है। नकल चौशाला जमाबंदीयां भी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है, इसी प्रकार से विवादित आराजी सायलान की पैतृक व पुश्तैनी है, इसी प्रकार खसरा नम्बर 270/7 रकबा 5.00 बीघा गैर मुमकिन बाड़ा भी पैतृक व पुश्तैनी होने से सायला व गैरसायलान सभी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इस प्रकार से विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में सहवन से सायलान के पिता जी के नाम दर्ज नही हुये थे, लेकिन मौके पर सेटलमेंट से लगायत आज दिन तक सायलान का कब्जा काश्त यथावत चला आ रहा है इस प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 63 के माफिक भी वादग्रस्त आराजी मे अपने खातेदारी हक व अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र बाबत् घोषणा का बहक सायलान विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। विवादित आराजी में सायलान संख्या 01 व 02 का 1/4 वां हिससा, सायलान संख्या 03 का 1/4 वां हिस्सा व सायलान संख्या 04 से 07 का 1/4 वां हिस्सा इस विवादित आराजी में है एवं इसी माफिक पक्षकार काबिज खातेदार काश्तकार सायलान है। सायलान वक्त सेटलमेंट के पूर्व से ही सायलान के पिता व दादा जी का अलग-अलग 1/4-1/4 वे हिस्से की भूमि पर कब्जा व काश्त था। उनके स्वर्गवास उपरान्त सायलान इस भूमि में पर काबिज हुये इस वर्ष विवादित आराजी पर सावणू फसल भी सायला ही बोई है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में सायलान का नाम दर्ज नहीं होने की वजह से गैरसायलान मौके पर लड़ाई झगड़ा व वाद विवाद कर रहे है। गैरसायलान के नाम इस राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज होने की वजह से वह इस भूमि को जरिये रहन, बेचान के अन्य हस्तान्तरण करने को आमादा है। तथा सायलान को भी उनके हक हिस्से की भूमि से बेकाबिज कर बेदखल करने को आमादा हैं इस बाबत् मौके पर भी गैरसायलान विवाद करने की कुचेष्ठा कर रहे है। दिनांक 25.06.2017 को गैरसायलान ने सायलान का नाम दर्ज करवाने से इन्कार कर दिया तथा मौके पर नाप चौप व कब्जे को लेकर विवाद कर रहे है यदि गैरसायलान ने कानून हाथ में लेकर लाठी लकड़ी के बल पर सायलान को इस विवादित आराजी से बेदखल कर दिया तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी एवं सायलान अपने पैतृक व पुश्तैनी जायदाद से हमेशा-हमेशा के लिये वंचित हो जायेगें सायलान गैरसायलान के ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध करेगें जिससे विवाद बढ़ेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परस्थितियो में सायलान के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से [illegible] प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के [illegible] परिस्थितियों व दस्तावेजात एवं मौके पर कब्जा व काश्त के [illegible] प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

सायलान के पक्ष में प्रमाणित है। यदि गैरसायलान जबरदस्ती सायलान के हक हिस्से की भूमि में दखलंदाजी व हस्तक्षेप बाधा व अड़चन पैदा करते है, या उक्त भूमि को जबरदस्ती रहन, बेचान व अन्य हस्तान्तरण कर देते है तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी एवं होने वाली क्षति का मूल्यांकन मुद्रा में नहीं आंका जा सकता है। इसलिए सुविधा का संतलुन भी बखूबी सायलान के पक्ष में प्रमाणित हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायलान विरुद्ध गैरसायलान के इस आशय की जारी करावे कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित विवादित आराजी में खसरा नम्बर 331 रकबा 58–01 बीघा किस्म बारानी अव्वल की भूमि में सायलान संख्या 01 व 02 को 1/4, सायलान संख्या 2 को 1/4 व सायलान संख्या 03 से 07 को 1/4 वें हिस्से पर बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज होकर काश्त करें या करावे एवं काश्त मुतालिक तमाम कार्य खड़ाई, बुवाई, निराई, गुड़ाई, सिंचाई, व कटाई आदि करे या करावे तो उसमें गैरसायलान स्वयं उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट, रिश्तेदार परिवार के सदस्य किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप व बाधा व अड़चन व दखलंदाजी नही करे साथ ही सायलान के हक हिस्से की आराजी को जरिये रहन, बेचान के अन्य हस्तान्तरण नही करे ऐसा करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के गैरसायलान को वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक रोका जावे। ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायलान विरुद्ध गैरसायलान के सादिर फरमावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जो सा.मि. है। गैरसायल संख्या 1,3 को बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई एवं वकील गैरसायल संख्या 2 व 4 की ओर से नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड करने एवं गैरसायलान को बार–बार रूक–रूक कर आवाजें दिलाने पर उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस वकील वादीगण/प्रार्थीगण राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता वादीगण/प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 331 रकबा 58–01 बीघा किस्म बारानी अव्वल के पैतृक पुश्तैनी होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद–पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दौराने वाद विचारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

संख्या 1 से 4 के नाम खातेदारी दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम घोडावड की संवत् 2016–2019 से लेकर संवत् 2053–2056 तक संवतवार जमाबंदियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में तत्कालीन खातेदार लाबूराम पुत्र मुगना का नाम लम्बे समय से दर्ज चला आ रहा था। जमाबंदी संवत् 2053–56 ग्राम घोडावड में अंकित नामांतकरण के नोट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के तत्कालीन खातेदार लाबूराम पुत्र मुगना के फौत होने पर जरीये ना.मा.सं. 525 लाबूराम के वारिसान के नाम भू.अभिलेख में दर्ज हुए। अतः पत्रावली पर उपलब्ध भू–अभिलेखीय दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन खातेदार लाबूराम दीर्घ समय से वादग्रस्त आराजी के खातेदार दर्ज थे एवं उनके फौत होने के पश्चात् अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 के पिता का नाम वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज हुआ। तत्पश्चात् अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 के पिता चंपालाल के फौत होने पर अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 के नाम भू–अभिलेख में दर्ज हुए। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हो जबकि दीर्घ समय से वादग्रस्त आराजी में तत्कालीन खातेदार लाबूराम एवं तत्पश्चात् उनके वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 बतौर खातेदार दर्ज है। अतः यह बिंदू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित हुआ है। साथ ही अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 दीर्घ समय से वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज है। सामान्यता आराजी का वर्तमान लाभार्थी महत्वपूर्ण होता है। अतः सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में निहित है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में साबित होता है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** चुंकि पूर्व विवेचित दोनो बिंदू प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित हुए है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के दीर्घ समय से अभिलिखित खातेदार है। यदि खातेदारान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उन्हें अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से महरूम होना पड़ेगा जिससे अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होने की पूर्ण संभावना है। जबकि प्रार्थीगण यह स्पष्ट करने में पूर्णतया असफल रहे है कि यदि वादग्रस्त आराजी के संबंध में उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उन्हें किस प्रकार से अपूरणीय क्षति होगी। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थापित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) जतारण (पाली)

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाना विधि संगत एवं उचित रहेगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर, संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 28/09/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.02.17 16:00:49 IST
Reason: SelfAttested